FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): खीरी
   FIR No. (प्र.सू.रि. 0010 | P.S. (थाना): गौरीफंटा | Year (वर्ष): 2020
   Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय)01/07/2020 19:45 बजे

2.

S.No. (क्र.स.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द स 1860	323
2	भा द स 1860	504
3	भा द स 1860	506
4	भा द स 1860	354(क)
5	भा द स 1860	392
6	भा द स 1860	376
7	भा द स 1860	511
8	भा द स 1860	364
9	अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति (नृशसता निवारण) अधिनियम, 1989 (सशोधन 2015)	3(2)(v)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day (दिन): बुधवार | Date From (दिनाक से 01/07/2020 | Date To (दिनाक तक):01/07/2020
      Time Period (समय अवधि):पहर 2 | Time From (समय से):06:00 बजे | Time To (समय तक):06:00 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहा सूचना प्राप्त हुई):
      Date (दिनाक):01/07/2020 | Time (समय): 19:45 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
      Entry No. (प्रविष्टि सं.):030 | Date & Time (दिनांक और समय): 01/07/2020 19:45 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):दक्षिण - पूर्व, 3 किमी | Beat No. (बीट सं.):
      (b) Address (पता): बहद ग्राम कजरिया
      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
      Name of P.S.(थाना का नाम): | District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
   (a) Name (नाम): वीरमती
   (b) Wife's Name (पत्नी का नाम) : रामासरे
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1990 | (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
   (e) UID No. (यूआईडी सं.):
   (f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): | Date of Issue (जारी करने की तिथि):
      Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h)Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	कजरिया,गौरीफ्टा,खीरी,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	कजरिया,गौरीफ्टा,खीरी,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	वनरेंज अधिकारी आलोक शर्मा		पिता का नाम : अज्ञात	1. अज्ञात,गौरीफटा,खीरी,उत्तर प्रदेश,भारत
2	उपरेंज अधि सुनील शर्मा		पिता का नाम : अज्ञात	1. अज्ञात,गौरीफटा,खीरी,उत्तर प्रदेश,भारत
3	वनकर्मी नरेन्द		पिता का नाम : अज्ञात	1. अज्ञात,गौरीफटा,खीरी,उत्तर प्रदेश,भारत
4	थाना गौरीफटा के उ0नि0 भट्ट		पिता का नाम : अज्ञात	1. गौरीफटा थाना,गौरीफटा,खीरी,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.-प्रकरण सं., यदि कोई हो

S.No. (क्र. UIDB Number (यू.डी.-प्रकरण

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दीवादिनी प्रति0 श्रीमान प्रभारी निरीक्षक थाना गौरीफन्टा पलिया कला खीरी विषय-प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु तहरीर महोदय आपको अवगत कराना है कि प्रार्थिनी तहसील पलिया कला खीरी थाना गौरीफन्टा के अन्तर्गत आने वाले गाँव कजरिया की निवासिनी है एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिला है। आज सुबह दिनाँक 01 जुलाई 2020 को करीब 6 बजे मेरा पुत्र सुबिन्दर जब गाँव से लगे ही अपने खेत मे जब जोतकारी कर रहा था तभी वहाँ पर वनकटी रेंजाधिकारी आलोक शर्मा उपरेंजाधिकारी सुनील शर्मा वनकर्मी नरेन्द सहित हथियार बन्द फोर्स के साथ जीप आदि से वहाँ आ धमके। उन्होने आते ही बिना कोई बात किए मेरे पुत्र को अपनी बेल्टो से पीटना शुरु कर दिया मौके पर मौजूद प्रार्थिनी ने जब उनसे पूछा कि आप बिना किसी बात के मारपीट क्यो कर रहे है तब रेंजाधिकारी ने आगे बढकर प्रार्थिनी को जातिसूचक और गन्दी गन्दी अश्लील गालियां देते हुये अपनी बाहो मे दबोचकर बलात्कार की कोशिश करने लगा उसने प्रार्थिनी के ब्लाउज मे हाथ डालकर संवेदनशील अगो को दबोचते हुए प्रार्थिनी को निर्वस्त्र करने की कोशिश मे उसका ब्लाउच बुरी तरह से फाड डाला। जिसको देखकर प्रार्थिनी का पुत्र माँ को बचाने के लिए दौडा तो वन विभाग के पूरे स्टाफ ने मिलकर मेरे पुत्र पर लाठी डण्डा से हमला बोल दिया जिससे प्रार्थिनी के पुत्र के सिर पर और अन्य अगो पर गम्भीर चोट आयी। दूसरी प्रार्थिनी पर भी रेंजर आलोक शर्मा लगातार हमलावर रहे और प्रार्थिनी के गुप्त अगो पर और अन्य अगो पर निशान साधकर गाली गलौज करते हुए वार करता रहा यह सूचना जब गाँव की महिलाओ को मिली तो वह इकट्ठा होकर वहाँ पहुँच गई वन कर्मियो महिलाओ पर आतक फैलाने के लिए हवाई फायर करना शुरु कर दिया इतने मे वहा गौरीफन्टा थाना की पुलिस पहुची जिसमे वहाँ तैनात उपनिरीक्षक भट्ट ने भी महिलाओ को सरक्षण देने की बजाय गाली गलौच और धमकी आदि देना शुरु कर दिया पुलिस के पहुचने पर रेंजर ने महिलाओ पर आरोप लगाना शुरु कर दिया कि उन्होने हमारी बन्दूक चोरी की है मारपीट के दौराने प्रार्थिनी को रेंजर ने बुरी तरह से बेइज्जत तो किया ही कपडे आदि फाड़ते हुए परम्पारिक रुप से पहने जाने वाले जेवर आदि भी झपट कर उतार लिए और लूट लिया। महोदय यह ग्राम कजरिया मे वनविभाग के लोगो द्वारा लगातार आतक फैलाया जा रहा है अभी गत 6 जून 2020 को उपजिलाधिकारी पलिया को इससे सम्बन्धित एक ज्ञापन हम सभी महिलाओ की तरफ से सौपा

गया है प्रार्थिनी का पुत्र अभी तक गायब किया गया है इस घायल अवस्था मे वह कहाँ इसकी कोई सूचना हमारे पास नही है। अतः आपसे अनुरोध है कि दी गई तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके आरोपियो पर मुकदमा दर्ज किया जाये। गाँव मे बुरी तरह से भय का माहौल व्याप्त है हम नही चाहते कि कोई भी अप्रिय स्थिति और क्षेत्र मे वन विभाग का आतंक व्याप्त रहे। आपसे हम अपनी सुरक्षा की भी गुहार लगाते है।एसडी नि0अ0 प्रार्थिनी वीरमती पत्नी रामआसरे ग्राम कजरिया थाना गौरीफंटा पलिया कला खीरी उत्तर प्रदेश दिनाक 1 जुलाई 2020 गवाही सवादा पत्नी दुक्खी 2- झर्रो पत्नी इुट्ठन 3-छोती पत्नी खड़कू 4- कलावती नोट मै है0का0 नरेश कुमार सिंह प्रमाणित करता हु कि नकल तहरीर/कायमी मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर बोल बोल कर अक्षरशः अंकित करायी गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद स. 2 मे उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation:

or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): CO PALIYA Rank (पद): Dy. SP (Deputy
No.(9454401488 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S. District
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

01.07.20

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): PS GAURIPHANTA
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): 9454403779